अनुलग्नक - I

एनएचपीसी लिमिटेड में लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश

1. निगम से संपर्क करने वाले सभी लागत लेखाकारों/ लागत लेखाकारों की फर्मों के बायो-डाटा की सूची निगम द्वारा रखी जाएगी ।

2. उपर्युक्त सूची से, जो लागत लेखाकार/ लागत लेखाकारों की फर्में निम्नलिखित मानदंडों में से किसी को भी पूरा करते/ करती हैं, उन्हें भविष्य में लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल में सम्मिलित कर लिया जाएगा ।

   i. लागत लेखाकारों की ऐसी फर्में जिन्हें न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो जिसमें से एक वर्ष का अनुभव विद्युत क्षेत्र में हो ।

   ii. लागत लेखाकार जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 15 वर्षों तक काम किया है, तथा लागत लेखों के अनुरक्षण/ पर्यवेक्षण का अनुभव है और सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में लागत लेखा परीक्षकों के साथ कार्य किया है ।

   iii. लागत लेखाकार जो भारतीय लागत लेखा सेवाओं के सदस्य हैं ।

3. लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हर वर्ष निगम के पास उपलब्ध लागत लेखाकारों के बायो-डाटा की सूची से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी । लागत लेखा परीक्षकों के नाम की सिफारिश निदेशक (वित्त)/ अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा गठित आंतरिक समिति द्वारा की जाएगी ।

4. लगातार चौथे वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा । कूलिंग अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी । दूसरे शब्दों में, तीन वर्ष की सेवा देने के बाद लागत लेखा परीक्षक को कम से कम एक वर्ष के लिए विश्राम दिया जाएगा ।

5. उपर्युक्त संदर्भित बायो-डाटा की सूची का अर्थ एनएचपीसी में समय-समय पर प्राप्त सभी लागत लेखाकारों के बायो-डाटा की सूची से है ।